रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-265/2020/430/22-2-2020-17(155)/2016
लखनऊ:दिनांक: 17 जुलाई, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश (बन्दी संख्या-34383) पुत्र श्री मुखलाल उर्फ सुखलाल, निवासी-श्रीनगर, थाना-हजारा, जनपद-पीलीभीत, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-26/1995 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश दिनांक 13.10.1998 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.08.2003 द्वारा यथावत रखा गया, सलाहकार सिमति ने बन्दी द्वारा 25 वर्ष से अधिक अपरिहार तथा 32 वर्ष से अधिक सपरिहार सजा भोगे जाने एवं संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-265/2020/430(1)/22-2-2020 तद्दिनांक ..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत ।
3- पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in